रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003

(2004 का अधिनियम संख्यांक 1)

[1 जनवरी, 2004]

**रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध)
अधिनियम, 1985 का निरसन
करने के लिए
अधिनियम**

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 है ।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपील प्राधिकरण" से रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 5 के अधीन गठित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 4 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. 1986 के अधिनियम सं० 1 का निरसन और अपील प्राधिकरण तथा बोर्ड का विघटन—रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियमिति कहा गया है) इसके द्वारा निरसित किया जाता है और अपील प्राधिकरण तथा बोर्ड का विघटन किया जाता है ।

4. पारिणामिक उपबंध—अपील प्राधिकरण तथा बोर्ड के विघटन पर,—

(क) (i) अपील प्राधिकरण या बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति; और

(ii) केन्द्रीय सरकार, अपील प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रत्येक अन्य व्यक्ति,

जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण किए हुए हैं, अपना पद रिक्त कर देंगे और ऐसा कोई अध्यक्ष, सदस्य या अन्य व्यक्ति अपनी पदावधि या सेवा की किसी संविदा की समय से पूर्व समाप्ति के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा :

परंतु ऐसा प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी जो अपील प्राधिकरण या बोर्ड के विघटन से ठीक पूर्व प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपील प्राधिकरण या बोर्ड में नियुक्त किया गया है, यथास्थिति, अपने मूल काडर, मंत्रालय या विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी जो अपील प्राधिकरण या बोर्ड के विघटन से ठीक पूर्व अपील प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा नियमित आधार पर नियोजित किया गया है, ऐसे विघटन की तारीख से ही केन्द्रीय सरकार का क्रमश: अधिकारी और कर्मचारी हो जाएगा, और पेंशन, उपदान और वैसे ही अन्य विषयों के संबंध में उसके अधिकार और विशेषाधिकार वहीं होंगे जो उसे तब अनुज्ञेय होते जब ऐसे अपील प्राधिकरण या बोर्ड के संबंध में अधिकार केन्द्रीय सरकार को अंतरित न किए गए होते ओर उसमें निहित न हुए होते तथा तब तक बने रहेंगे जब तक कि केन्द्रीय सरकार में उसका नियोजन सम्यक्त: समाप्त नहीं कर दिया जाता या उसके पारिश्रमिक, नियोजन के निबंधनों और शर्तों को उस सरकार द्वारा सम्यक्त: परिवर्तित नहीं कर दिया जाता :

परंतु यह भी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपील प्राधिकरण या बोर्ड में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाओं के केन्द्रीय सरकार को अन्तरण से ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा :

---

[1] 25 नवम्बर, 2016, अधिसूचना सं०का०आ० 3568(अ) तारीख 1 दिसम्बर, 2016 द्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2 खंड 3(ii) में देखिए ।

परंतु यह भी कि जहां अपील प्राधिकरण या बोर्ड में नियोजित अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए अपील प्राधिकरण या बोर्ड ने कोई भविष्य-निधि, अधिवर्षिता, कल्याण या अन्य निधि स्थापित की है, वहां उन अधिकारियों और कर्मचारियों,, जिनकी सेवाएं इस अधिनियम द्वारा या के अधीन केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर दी गई हैं, से संबंधित धन, अपील प्राधिकरण या बोर्ड के विद्यटन पर ऐसी भविष्य-निधि, अधिवर्षिता, कल्याण या अन्य निधि में जमा धन में से केन्द्रीय सरकार को अंतरित हो जाएगा और उसमें निहित होगा तथा ऐसे धन को जो इस प्रकार अंतरित होता है वह सरकार ऐसी रीति से निपटान करेगी जो विहित की जाए :

[1][(ख) इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी तारीख, जो अधिसूचित की जाए, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) के अधीन अपील अधिकरण को की गई कोई अपील या बोर्ड को या उसके समक्ष कोई निर्देश या लंबित कोई जांच या अपील अधिकरण या बोर्ड के समक्ष कोई कार्यवाही चाहे वो किसी भी प्रकृति की हो, उपशमित हो जाएगी :

परंतु कोई कंपनी जिसके संबंध में ऐसी अपील या निर्देश या जांच का इस खंड के अधीन उपशमन हो गया है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अनुसरण में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर निर्देश कर सकेगी :

परंतु यह और कि ऐसी कंपनी द्वारा, जिसकी अपील या निर्देश या जांच का इस खंड के अधीन उपशमन हो गया है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन ऐसा निर्देश करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं होगी ।]

[2][परंतु यह भी कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन मंजूरी दी गई कोई योजना या उपधारा (12) के अधीन कार्यान्वयनाधीन कोई योजना दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन एक अनुमोदित समाधान योजना मानी जाएगी और उस पर उक्त संहिता के भाग II के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी :

परंतु यह भी कि यदि इस अधिनियम की अधिसूचना की तारीख तक वह कानूनी अवधि समाप्त नहीं हुई थी जिसके भीतर बोर्ड के किसी आदेश के विरुद्ध रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन कोई अपील अनुज्ञात की गई थी, तो ऐसी किसी मानित अनुमोदित संकल्प योजना के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है ।]

(ग) यथास्थिति, अपील प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा प्राप्त या उसको दिए गए सभी धन का (जिसके अंतर्गत कोई फीस भी है) अतिशेष जो उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व व्यय नहीं किया गया है, इस अधिनियम के प्रारंभ पर केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएगा और उसका खंड (ङ) तथा खंड (च) के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा;

(घ) किसी प्रकार की कोई सम्पत्ति जो, यथास्थिति, अपील प्राधिकरण या बोर्ड के स्वामित्व में है या उसमें निहित है, और जो उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व व्यय नहीं की गई है, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएगी ;

(ङ) किसी भी प्रकार के ऐसे सभी दायित्व और बाध्यताएं जो अपील प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा उपगत की गई हों और जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान हों, इस अधिनियम के प्रारंभ से ही केन्द्रीय सरकार के, यथास्थिति, दायित्व या बाध्यताएं समझी जाएगी और इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व ऐसे दायित्वों और बाध्यताओं के संबंध में किसी अपील प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित या विद्यमान कोई कार्यवाही या वाद हेतुक, इस अधिनियम के प्रारंभ से ही केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा;

(च) खंड (ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित सभी धन का, उक्त खंड में निर्दिष्ट दायित्वों और बाध्याताओं का निर्वहन करने के लिए उपगत रकम को उसमें से घटाकर केन्द्रीय सरकार द्वारा उस व्यक्ति को, जिसको ऐसी रकम देय है, प्रतिदाय कर दिया जाएगा ।

5. व्यावृत्ति—(1) इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियमिति के निरसन से—

(क) किसी ऐसी अन्य अधिनियमिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, उसमें सम्मिलित की गई है या उसमें निर्दिष्ट की गई है;

(ख) निरसित अधिनियमिति के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ग) निरसित अधिनियमिति के अधीन अर्जित, उद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(घ) स्कीमों को मंजूरी देने के लिए बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

---

[1] 2016 अधिनियम सं० 31 की धारा 252 द्वारा (तारीख 1-11-2016 से) प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं० का०आ० 1683(अ), तारीख 24-05-2017 द्वारा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (कठिनाइयां दूर करना) आदेश, 2017 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ङ) पहले की गई या सहन की गई किसी बात अथवा पहले ही अर्जित, उद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या से निर्मोचन या उन्मोचन अथवा पहले दिए गए किसी परित्राण या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(च) निरसित अधिनियमिति के संबंध में किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंडादेश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यथापूर्वोक्त् किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में, किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवृत्त किया जा सकेगा और ऐसा कोई विशेषाधिकार, समपहरण या दंडादेश ऐसे अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो;

(छ) विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रुढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, भले ही वह, निरसित अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी भी रीति से अभिपुष्ट या मान्यताप्राप्त या व्युत्पन्न हो;

(ज) कोई अधिकारिता, पद, रुढि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या कोई अन्य विषय या बात, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं हैं, पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित नहीं होगी ।

(2) धारा 4 में और इस धारा की उपधारा (1) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, उक्त धारा और उपधारा में विशिष्ट विषयों के उल्लेख का, निरसन के प्रभाव की बाबत, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के साधारणत: लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या उसको प्रभावित करने वाला है ।

6. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :

(क) वह रीति जिसमें केन्द्रीय सरकार को अन्तरण पर, अधिकारियों और कर्मचारियों की भविष्य-निधि, अधिवर्षिता, कल्याण या अन्य निधि में जमा धन का उस सरकार द्वारा धारा 4 के खंड (क) के चौथे परन्तु के अधीन निपटान किया जाएगा ;

(ख) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए अथवा जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसको कोई प्रभाव नहीं होगा । तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

———